मनोरंजक पशु नियम, 1973

पशु–क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 सहपठित धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों के प्रवर्तन में भारत सरकार निम्नांकित नियम बनाती है यथा :–

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रभाव :

(1) ये नियम मनोरंजक पशु नियम, 1973 कहलाएंगे।

(2) ये नियम किसी भी राज्य सरकार राजकीय गजट में जब अधिसूचित करेगी तब से प्रभावी होगे।

2. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ में अन्यथा न हो, इन नियमों में :

(क) अधिनियम का तात्पर्य – पशु–क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 से है।

(ख) मनोरंजक–पशु से तात्पर्य वह पशु जो टिकिट–विक्रय द्वारा आप जनता के मनोरंजन के लिये उपयोग में आता हो या उस प्रयोजनार्थ हो।

(ग) निर्धारित प्राधिकारी से तात्पर्य राज्य सरकार या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस हतु निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी है।

(घ) अनुसूचित से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूचि है।

3. पंजीयन हेतु आवेदनपत्र

(1) मनोरंजक–पशु के प्रदर्शन या उनके प्रशिक्षण हेतु इस अधिनियम में पंजीयन करवाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा एक ऐसा आवेदनपत्र देना होगा जिसका प्रारूप प्रथम अनुसूचि में है और उस में निर्दिष्ट विवरण भी देने होंगे।

(2) ऐसा आवेदनपत्र ऐसे निर्धारित प्राधिकारी को देना होगा जिसके क्षेत्राधिकार मे आवेदक सामान्यतः निवास करता हो या यदि उसका स्थायी निवास न हो तो ऐसे प्राधिकारी को देना होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु आदेशित कर निर्दिष्ट किया जाए।

4. शुल्क एवं पंजीयत

पंजीयन संबंधी प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ रू.15/– का शुल्क नगदी या ऐसे रूप में देना होगा जो निर्धारित प्राधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

5. पंजीयन प्रमाणपत्र का प्रारूप

(1) निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी जाने वाला प्रमाणपत्र द्वितीय अनुसूचि के प्रारूप में होगा।

(2) प्रत्येक पंजीयन को, जारी करने के क्रम में एक क्रमांक दिया जाएगा और आवेदक को जारी प्रमाणपत्र में वह क्रमांक अंकित किया जाएगा।

6. पंजी

इन नियमों के अन्तर्गत, जिस व्यक्ति को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाए उस प्रत्येक व्यक्ति का नाम, तृतीय अनुसूचि में निर्धारित प्रारूप वाली पंजी में, प्रविष्ठ किया जाएगा।

7. पंजी का निरीक्षण

इन नियमों के अनुसार पंजी का निरीक्षण कोई भी व्यक्ति, दो रूपए का शुल्क देकर, सामान्य कामकाज के समय के दौरान, कार्य–दिवस पर निरीक्षण कर सकेगा और उसकी नकल कर सकेगा या निर्धारित प्राधिकारी से, पांच रूपए शुल्क देकर, प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग कर सकेगा।

8. पंजी में प्रविष्ठियों का सुधार करने हेतु आवेदनपत्र

अधिनियम की धारा 23 (5) के अनुसार पंजी में दर्ज प्रविष्ठियों के सुधार हेतु आवेदनपत्र चतुर्थ अनुसूचि के प्रारूप अनुसार देना होगा और यदि कोई विवरण परिवर्तित होता है तो विद्यमान पंजीयन–प्रमाणपत्र निरस्त होगा और आवेदक को नया पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9. प्रमाणपत्रों की द्वितीय (डुप्लीकेट) प्रतियां जारी करना

जिस व्यक्ति का नाम इन नियमों के अनुसार पंजीबद्ध है, यदि वह सिद्ध कर दे कि उसका मूल प्रमाणपत्र नष्ट हो गया या खो गया है तो पांच रूपए के शुल्क पर द्वितीय (डुप्लीकेट) पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा जो मूल पंजीयन प्रमाणपत्र के समान ही प्रभावशाली होगा।

10. भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड को प्रमाणपत्रों की प्रतियां भेजना आदि

जैसे ही पंजीयन प्रमाणपत्र, द्वितीय प्रति या नवीनीकृत प्रमाणपत्र निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाए, उनकी प्रतियां इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड को भेजी जाएंगी।

प्रथम अनुसूची

(देखें नियम 3)

आवेदनपत्र का प्रारूप

1. मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मनोरंजक–पशु नियम, 1993 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन करता हूँ और निम्नांकित विवरण मेरी निजी जानकारी और विश्वास से सत्य हैं – ऐसी घोषणा यहां करता हूँ।

सही.....

दिनांक .....

पता जहां पंजीयन प्रमाणपत्र
भेजा जाए–

.....

.....

विवरण

1. स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम
2. राज्य–नाम
3. राष्ट्रीयता
4. (अ) भारत में स्थायी पता या
   (आ) भारत में डाक का स्थायी पता जहां आवेदक को पत्र भेजे जा सकें।
5. भारत में वैसा पता या पते जो यात्रा के दौरान अस्थायी पतों से भिन्न हों, जहां आवेदक मनोरंजक पशुओं को प्रशिक्षण देता है या देना चाहता है।
   (यदि ऐसा पता नहो तो नही लिखे)
6. क्या मनांरंजक पशु नियम, 1973 के अंतर्गत पहले पंजीयन हुआ था? यदि हां तो पंजीयन क्रमांक और दिनांक लिखे
7. (1) प्रस्तावित मनोरंजक–पशुओं के प्रकार जिन्हें

	प्रशिक्षित किया जाना है		प्रदर्शित किया जाना है	
	प्रकार	संख्या	प्रकार	संख्या

(क) प्रशिक्षण दिया जाना है

(ख) प्रदर्शित किया जाना है

प्रत्येक प्रकार के पशु की संख्या एवं प्रकारः	प्रकार	संख्या

(2) प्रशिक्षित पशु जिन्हें प्रदर्शित किया जाना है

8. प्रदर्शन–कार्य या कार्यों का संक्षिप्त विवरण* जिन में मनोरंजक पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है या जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, जिसके साथ उन संसाधनों का भी विवरण हो जिसका उपयेाग प्रदर्शन–कार्य मे होगा।

---

*वर्णन इतना पर्याप्त होना चाहिए कि प्रदर्शन कार्य मे उस पशु द्वारा क्या किया जाएगा, कितने समय तक पशु प्रदर्शन–कार्य करेगा उसकी अवधि, कितनी बार एक ही दिन में प्रदर्शन–कार्य करेगा और प्रदर्शन–कार्य मे प्रत्येक प्रकार के पशुओं की संख्या का भी विवरण दिया हो। इस में ऐसे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है जिससे व्यावसायिक गोपनीयता भंग होती हो।

द्वितीय अनुसूची

(नियम 5 देखें)

पंजीयन -प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, जिसके विवरण यहां नीचे दिए गए हैं, उस व्यक्ति का आज दिनांक को मनोरंजक–पशु नियम, 1975 के अन्तर्गत निम्नांकित स्थान के पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पंजीयन किया गया है।

पंजी प्रविष्टि क्रमांक :.....

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
पंजीयन प्राधिकारी का लिपिक

विवरण

प्रशिक्षक या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रीयता	भारत में स्थायी पता या स्थायी डाक के पते जहाँ प्रशिक्षक/प्रदर्शक को डाक भेजी जाए	पता/पते जहां मनोरंजक पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाना है	पूर्व पंजीयन का विवरण	मनोरंजक पशुओं के प्रकार		प्रदर्शन कार्य का सामान्य विवरण	पंजीयन दिनांक	पशु–क्रूरता निवारण, अधिनियम 1960 की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय ने कोई आदेश दया हो तो उसका विवरण
					प्रशिक्षण हेतु पशुओं के प्रकार और संख्या	प्रदर्शन हेतु पशुओं के प्रकार और संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

तृतीय अनुसूची

(नियम 6 देखें)

पंजी -प्रारूप

क्रमांक	प्रशिक्षक	राष्ट्रीयता	भारत में स्थायी पता या स्थायी डाक के पते जहाँ प्रशिक्षक/प्रदर्शक को डाक भेजी जाए	पता/पते जहां मनोरंजक पशुओं को प्रशिक्षण या प्रदर्शन कार्य करना हो	पूव पंजीयन का विवरण	मनांरंजक पशुओं के प्रकार		प्रदर्शन कार्य का सामान्य विवरण	पंजीयन दिनांक	पशु-क्रूरता निवारण, अधिनियम 1960 की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो तो उसका विवरण
						प्रशिक्षण हेतु पशुओं के प्रकार और संख्या	प्रदर्शन हेतु पशुओं के प्रकार और संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

चतुर्थ अनुसूची

पंजी में प्रविष्ठ विवणों शीर परिवर्तन कराने संबंधी आवेदनपत्र प्रारूप

पंजी में आवेदक संबंधी विवरणों में संशोधन हेतु आवेदनपत्र

प्रति,

श्री निर्धारित प्राधिकारी,
आवेदक का पूरा नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

पंजीयन प्रमाणपत्र का क्रमांक औद दिनांक

मनोरंजक–पशुओं के नियम, 1973 के अन्तर्गत मुझे जारी किए गए पंजीयन प्रमाणपत्र को मैं वापस भेज रहा हूँ और प्रविष्ठ विवरणों में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कारण भी लिख रहा हूँ।

मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरा विद्यमान प्रमाणपत्र निरस्त कर नया पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर _____

पता _____

_____

_____

टिप्पणी : नए पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु कोई शुल्क नहीं हैं।

(भारत गजट भाग 11 विभाग 3,उपविभाग (2) में अधिसूचित भारत शासन के कृषि विभाग के आदेश क्र.35–4–72 एलडी, दिनांक 11 मई, 1973 के अनुसार)